# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़

मिसल न0 18 /प्रा0पत्र/21

सरकार जर्ये पुलिस थाना कोतवाली,
बनाम
वसीम वगै0

अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 3 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960

प्र.सू.रि.स. 174/2021 पुलिस थाना कोतवाली,झालावाड़

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 जा.फो.

बाबत् सुपुर्दगी ट्रक टाटा LP न0 RJ 14 GH 4462

उपस्थितः– श्री विनोद कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थी
अभियोजन अधिकारी

–: निर्णय :– दिनांकः 23.09.2021

यह प्रा0पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ द्वारा उपरोक्त जुर्म में दिनांकः 09.03.2021 को प्रार्थी का एक ट्रक टाटा LP न0 RJ 14 GH 4462 को जप्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी के लिये निवेदन कर अंकन किया गया है कि प्रार्थी उक्त जप्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है।प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना कोतवाली में खुले स्थान पर पडा है इससे वाहन का रंग रोगन मशीनरी खराब होने का अन्देशा है। कोरोनाकाल की वजह से सारे काम–धन्धे बन्द है आजीविका का अन्य कोई साधन नही है। प्रार्थी उक्त वाहन को अपने पास सुरक्षित हालत में रखेगा कहीं पर खुर्द बुर्द,क्रय विक्रय हस्तान्तरण नही करेगा। वाहन को सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधिनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर व मुलजीम से पूछताछ के आधार पर कंटेनर न0 आर.जे 14 जी एच 4462 के पावर आफ अटार्नी धारक वसीम पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 कोसीकला तहसील छाता पुलिस थाना कोसीकला जिला मथुरा उत्तर प्रदेश व सलीम पुत्र जीवा जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा,थाना मालपुरा जिला टोंक के विरूद्ध अपराध धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 का अपराध प्रमाणित होना व मुलजिमान का न्यायालय से जमानत पर आजाद होना अंकन किया गया । प्रकरण में जप्त कन्टेनर नम्बर आर.जे 14 जी एच 4462 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही बताया गया।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक ट्रक टाटा LP न0 RJ 14 GH 4462 को पुलिस द्वारा दिनांकः 09.03.2021 से जप्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गोवशं का परिवहन नही किया जा रहा था प्रार्थी द्वारा ट्रांजिट परमिट व रवन्ना लेकर गोंवश का परिवहन किया जा रहा था प्रा0पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा ट्रक सुपुर्दगी में दिया जावे।

इस पर सरकार की और से अभियोजन अधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था । राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त ट्रक को अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा हमारे समक्ष फर्द दस्तावेज के साथ अन्य किसी प्रकरण के निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर,भीलवाड़ा की फोटो प्रति के साथ रवन्ना क्रमांक 8 लगायत 21 निमाज पशु मेला जेतारण जिला पाली की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। पुलिस रिपोर्ट अनुसार गोंवश को रस्सियों से बांधकर कंटेनर में भरकर ले जाया जाना व केस डायरी में एक गोवश की मृत्यु होना साबित है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 3 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर,भीलवाड़ा द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रकिया संहिता जो मिसल न0 3/2021 रसीद मोहम्मद बनाम थानाधिकारी पुर जिला भीलवाड़ा के दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते हैं क्योंकि वहॉ मेले से खरीद की पंचायत की रसीद है जहॉ पकडा गया वो जगह आवेदक के घर जाने के रास्ते में बताई गई थी परन्तु यहां तो पशु खरीद की ना तो कोई रसीद है ना कोई रवन्ना ना ही सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति ना ही प्रार्थी ने क्रय स्थल –विक्रय स्थल की जानकारी व अनुमति के दस्तावेज पेश किये है। अतः गोवशं के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्ठी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से एक ही ट्रक में ठसाठस भरकर 38 गौवशं को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995(धारा 3,5,6,8,9,10) व धारा 3 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम 1960 की पुष्टी करता है।

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ द्वारा प्र.सू.रि.स. 174/2021 में जप्त ट्रक टाटा LP न0 RJ 14 GH 4462 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं, इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़ को जप्त वाहन ट्रक टाटा LP न0 RJ 14 GH 4462 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना कोतवाली के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे । राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़